संख्या-15/850/78-1-2013-28/2013

प्रेषक,

जी0पी0 कमल
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन 1
2- समस्त विभागाध्यक्ष् एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश ।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक 09 सितम्बर, 2013

विषय:- उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 के प्रस्तर-5.2.6 रोजगार सृजन" के अन्तर्गत
पात्र इकाईयों को प्रोत्साहन प्रक्रिया का निर्धारण ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अनुकूल व्यवसायिक वातावरण प्रदान कर तथा नीतिगत उपायों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक आकर्षक उद्देश्य (Attractive Destination) के रूप में उत्तर प्रदेश की स्थिति कोक सुदृढ. करने उद्देश्य से शासनादेश संख्या:968/78-1-2013-25/2012 दिनॉक 31 अक्टूबर, 2012 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 उद्घोषित की गई है। सूचना प्रौद्यगिकी नीति-2012 के प्रस्तर 5.2.6 "रोजगार सृजन" एवं प्रस्तर 5.2.3 "औद्योगिक विकास उपादान" के अन्तर्गत निम्नवत प्रोत्साहन प्रदान करने की व्यवस्था है ।

प्रस्तर 5.2.6 " रोजगार सृजन"

" ऐसे उद्योग जिनमें तीन वर्षो तक कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय व्यक्तियो को रोजगार मिला हो और कम से कम 100 कर्मचारी कार्यरत हो, उनके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना पर हुये व्यय की 75 प्रतिशत धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप पॉच वर्ष के लिये वहन की जायेगी जो स्थिर पूॅजी निवेश का अधिकतम 25 प्रतिशत होगा।"

http://srashadesh.up.nic.in

प्रस्तर 5.2.3 " औद्योगिक विकास उपादान"

"यदि द्वितीय एवं तृतीय सोपान के नगरों में तीन वर्षो की अवधि के भीतर वर्तमान इकाईयों द्वारा 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षमता विस्तार (Capacity Enhancement) हेतु अतिरिक्त पूँजी निवेश किया जाता है तो उन्हें नई इकाईयों को अनुमन्य प्रोत्साहनों (सरकारी अभिकरणों से भूमि क्रय पर मिली छूट को छोडकर) के 50 प्रतिशत के बराबर औद्योगिक किवास प्रोत्साहन अनुमन्य होगें । वर्तमान इकाईयों द्वारा क्षमता विस्तार से पूर्व अपनी इकाई के वर्तमान Status संबंध में समस्त वांछित विवरण उपलब्ध कराते हुए आगामी विस्तार हेतु वांछित सावाधि ऋण, कार्यशील पूँजी के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से टाई-अप करने इत्यादि का विवरण सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया हो।"

राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी नई एवं वर्तमान इकाईयों को कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी बीमा योजना में जमा की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति निम्नांकित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

2. कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी बीमा योजना में जमा की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु पात्रता

उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 के उपर्युक्त प्रस्तर के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों को पूर्ण करने वाली इकाईयों पात्र होगी।:-

i. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी नई इकाईयॉ जिनमें शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि में वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि से निरन्तर तीन वर्षो तक कम से कम 100 अथवा अधिक कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिला हो तथा इनमें से कम से कम 50 प्रतिशत श्रमिक स्थानीय व्यक्ति हो।

ii. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी वर्तमान इकाईयॉ जिनमें शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि में विस्तारित क्षमता पर वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि से निरन्तर 03 वर्षो तक कम से कम 100 अथवा अधिक कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिला हो तथा इनमें से कम से कम 50 प्रतिशत श्रमिक स्थानीय व्यक्ति हो।

3. **प्रोत्साहन अवधि**

http://shasnadesh.up.nic.in

उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 के प्रस्तर- 5.2.6 के अन्तर्गत पात्र इकाईयों को प्रोत्साहन प्रदान करने की अवधि शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर सम्बन्धित इकाईयों द्वारा वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि से निरन्तर तीन वर्ष तक प्रस्तर-2 के अनुसार रोजगार प्रदान किये जाने समबन्धी शर्तो को पूर्ण करने पर, 5 वर्षो तक कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना पर व्यय धनराशि के 75 प्रतिशत के बराबर धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप अनुमन्य होगी, जो स्थिर पूँजी निवेश के अधिकतम 25 प्रतिशत तक होगी ।

4. **आच्छादन** :- उत्तर प्रदेश के सोपान-2 **(Tier-II)**व सोपान-3 **(Tier-III)** नगर

5. **परिभाषायें:-**

5.1 **(a) "** नई इकाई" का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से सम्बन्धित ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली **(Proprietorship),** कम्पनियों, समितियों, साझेदारी आदि नई इकाईयों से है जिनके द्वारा उद्योग निदेशालय उ0प्र0 के अधीन सम्बनिधत जिला उद्योग केन्द्र में 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अधिनियम 2006 के धारा 8 के अन्तर्गत ज्ञापन जमा कर दिये गये हों अथवा जिनके द्वारा इस शासनादेश के जारी होने के उपरान्त भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं सर्वधन विभाग में आशय पत्र अथवा इच्छा पत्र दाखिल किया गया हो।

5.1 **(b)** " वर्तमान इकाई" का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से सम्बन्धित ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली **(Proprietorship),** कम्पनियों, समितियों, साझेदारी आदि नई इकाईयों जिनके शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 होने वाली अवधि के भीतर 03 वर्षो में 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त् पूँजी निवेश कर विस्तारित क्षमता पर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हो तथा जिनके द्वारा उद्योग निदेशालय उ0प्र0 के अधीन सम्बनिधत जिला उद्योग केन्द्र में 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अधिनियम 2006 के धारा 8 के अन्तर्गत ज्ञापन जमा कर दिये गये हों अथवा जिनके द्वारा इस शासनादेश के जारी होने के उपरान्त भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं सर्वधन विभाग में आशय पत्र अथवा इच्छा पत्र दाखिल किया गया हो।

5.2 **"कम्पनी"** से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योकगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी कम्पनी से है जिसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत

किया गया है।

http://srasnadesh.up.nic.in

5.3 **"सोसाइटी"** से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी सोसाइटी से है जिसका गठन सोसाइटीज अधिनियम 1980 के अन्तर्गत किया गया

5.4 **"पार्टनरशिप"** से तात्पर्य ऐसी साझेदारी फर्म से है, जिसका गठन भारतीय साझेदारी

अधिनियम-1932 के अन्तर्गत किया गया हो।

5.5 "वित्तीय संस्थान" से तात्पर्य रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिकृत वित्तीय संस्थाओं एवं शेड़यूल्ड बैंकों से है।

5.6 "कर्मचारी भविष्य निधि" का तात्पर्य इम्प्लाईज प्रॉवीडेन्ट फण्ड एण्ड मिसलिनियस प्रोविजन्स एक्ट-1952 के अन्तर्गत् धारा-5 में परिभाषित इंप्लाईज प्रॉवीडेन्ट फण्ड से है।

5.7 "कर्मचारी राज्य बीमा योजना" का तात्पर्य कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 से है जो कि कर्मचारियों को उनकी बीमारी, प्रसूति तथा रोजगार के कारण घायल होने की स्थिति में उन्हें कतिपय हितलाभ प्रदान करता है तथा इससे जुडे कतिपय अन्य मामलों में व्यवस्थायें देता है।

5.8 "स्थानीय व्यक्ति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के मूल निवासी(Domicile of Uttar Pradesh) से है।

5.9 "क्षमता विस्तार या विस्तारित क्षमता" से तात्पर्य किसी पात्र इकाई द्वारा व्यसाकिय कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि से 03 वर्ष की अविध में 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षमता विस्तार से है।

5.10 "अकुशल श्रमिक" का तात्पर्य ऐसे श्रेणी के श्रमिकों से है जो श्रम विभाग, अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के अधिसूचना संख्या: 401/36-3:06-सात न्यू.वे./04, दिनॉक 24.02.2006 के अन्तर्गत परिभाषित किये गये है।

5.11 "अर्द्धकुशल श्रमिक" का तात्पर्य न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में परिभाषित अर्द्धकुशल श्रमिक से है।

5.12 "कुशल श्रमिक" का तात्पर्य न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में परिभाषित कुशल श्रमिक से है।

5.13 "स्थिर पूँजी निवेश" का तात्पर्य भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी तथा पूँजीगत परिसम्पत्तियों में किये गये ऐसे निवेश से है जिसके माध्यम से निर्मित माल की बिक्री/अतिरिक्त बिक्री की प्रथम तिथि 31 अक्टूबर, 2012 को या उसके बाद पडती हो। स्थिर पूँजी निवेश की गणना हेतु सम्बन्धित इकाई द्वारा पूर्व में प्रयोग की जा

http://sidcadesh.up.nic.in

चुकी प्लाण्ट, मशीनरी तथा पूँजीगत परिसम्पत्तियों में किये गये निवेश को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5.14 "ऋण वितरण की तिथि" का तात्पर्य उस तिथि से है जिस तिथि से किसी वित्तीय संस्था द्वारा किसी पात्र इकाई को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाअें सम्बन्धित कार्यो हेतु ऋण धनराशि की प्रथम किस्त उपलब्ध करा दी गयी हो।

5.15 "वर्ष" का तात्पर्य का दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

5.16 "सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग"

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयॉ/कम्पनियॉ इत्यादि सम्मिलित हैं जबकि सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों/कम्पनियों में सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन्स (IT applications) सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें सम्मिलित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं का आशय बी0पी0ओ0(Business process outsourcijg)/के0पी0ओ0(Knowledge process outsourcijg)/परामर्श(Consulting)/ एनीमेशन (Animation), गेमिंग(Gaming) तथा ज्ञान-आधारित उद्योग (Knowledge industry based) जैसे नैनो टेक्नोलॉजी (Nano Technologies), टेलीकम्युनिकेशन्स(टेली-सम्प्रेषण) आदि से है।

5.17 सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवायें

सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं में वे सभी प्रक्रियायें एवं सेवायें सन्निहित हैं जो व्यापक व्यापारिक वर्ग को, टेलीकॉम संचार तंत्र अथवा इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त होती है जैसे मेडिकल ट्रॉसक्रिप्शन, लीगल डेटा बेस प्रॉसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लीगल प्रॉसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट/ऐनीमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स, बैंक-ऑफिस ऑपरेशन्स-लेख एवं वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श, बॉयो इन्फॉर्मेटिक्स, डेटा प्रॉसेसिंग तथा कॉल-सेन्टर आदि इनमें से कतिपय सेवाओं की सांकेतिक सूची नीचे दी गयी है:-

- o ग्राहकों की प्रतिक्रिया से सम्बन्धित सेवायें (Customer Interaction Services) जैसे वार्तालाप/सम्पर्क केन्द्र (Call/Contact Centers) तथा ई-मेल, हेल्प-डेस्क
- o इन्जीनियरिंग एवं डिजाइन
- o बैंक ऑफिस प्रॉसेसिंग
- o वित्त एवं लेखा (रिमोट माध्यम प्रदत्त सेवायें)

http://shasnadesh.up.nic.in

- बीमा दावों को निपटाने की प्रक्रिया-इंश्योरेन्स क्लेम प्रोसेसिंग(रिमोट मेथड द्वारा)
- मानव संसाधन सेवायें (रिमोट द्वारा)
- वेबसाइट विकास एवं अनुरक्षण सेवायें(Website development & maintenance Services)

- डेटा सर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस(DAta Serch, Integration & Analyses) तथा नेटवर्क परामर्श एवं प्रबन्धन (Network consulting and Managment)
- दूरस्थ शिक्षा (Remote Eduacation)
- एनीमेशन-(रिमोट द्वारा)
- गेमिंग
- मार्केट रिसर्च (रिमोट द्वारा)
- अनुवाद (Translation) नकलनवीसी (Transcription) तथा स्थानीयकरण(Localization) (रिमोट द्वारा)
- परामर्श (रिमोट द्वारा) सम्बन्धित विषय:-
  - सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर
  - ई0आर0पी0(Enterprise Resource Planning) जैसे SAP, ORACLE इत्यादि
  - सी0आर0एम0'ग्राहक सम्पर्क प्रबन्धन (Customer Relationship Management)
  - एम0आर0एम0-(Marekting Resources Management)
  - तकनीकी सहायता (Technical Support)
  - बिजनेस सिस्टम्स एण्ड प्रोसेसेज (Business Systems & Processes)
- डेटा प्रॉसेसिंग
- सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन
- सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज
- डिजाइनिंग एण्ड डिजाइनिंग सिस्टम्स
- कॉल सेन्टर्स
  - वॉयस-इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड-दोनों
  - डेटा-इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड-दोनों
- साफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट
- आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (रिमोट व्यवस्था साहित)

http://shasnadesh.up.nic.in

उपर्यूक्त के अतिरिक्त अन्य सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, जो उपर्युक्त् में सम्मिलित नहीं है, भी सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं में सम्मिलित की जा सकेंगी।

5.18 वर्गीकरण (Classification):-

सोपान-1(Tier I): नॉयडा, ग्रेटर नॉयडा

सोपान-2(Tier II): यथा लखनऊ, आगरा, कानपूर, इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी, बरेली इत्यादि तथा 20 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले अन्य नगर

सोपान-3 (Tier III) 20 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर मेगा परियोजनायें :- रू0 200 करोड से अधिक पूँजी निवेश वाली परियोजनायें मेगा परियोजनायें मानी जायेंगी ।

5.19 व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ करने की तिथि का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउन्टेट से प्रमाणित नये स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल की बिक्री प्रथम तिथि से है।

5.20 नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का तात्पर्य उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 के प्रस्तर 4.7 में परिभाषित नीति कार्यान्वयन इकाई से है।

6. <u>प्रोत्साहन का विवरण</u>

6.1 सूचना प्रौद्योगिकी ,उद्योग/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की नई इकाईयों को पॉच वर्ष तक कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी बीमा योजना (जो भी लागू हो) में जमा की गयी धनराशि का 75 प्रतिशत अथवा स्थिर पूँजी निवेश का अधिकतम 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, प्रोत्साहन स्वरूप अनुमन्य होगा ।

6.2 उदाहरणार्थ : यदि किसी सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित नई इकाई ने रू 20 करोड स्थिर पूँजी निवेश सहित लखनऊ में अपने परिचालन-संयंत्र की स्थापना वित्तीय वर्ष 2012-2013 में की जिसमें 500 व्यक्ति काम करते है और उसमें 375 व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी है । इकाई में निरन्तर तीन वित्तीय वर्षो अर्थात 2012-13 से 2014-15 तक स्थानीय व्यक्ति कार्य करते रहे है। इस प्रकार उक्त इकाई वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा पश्चातवर्ती चार वित्तीय वर्षो में प्रत्येक वर्ष कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना (जो भी लागू हो) में जमा कराई गई धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त करने की पात्र होगी। उपादान

http://srasnadesh.up.nic.in

स्वरूप प्रदान की जाने वाली धनराशि स्थिर पूँजी निवेश का अधिकतम 25 प्रतिशत होगी ।

6.3 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/ सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र की ऐसी वर्तमान इकाईयों को पॉच वर्ष तक कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी बीमा योजना (जो भी लागू हो) में जमा की गयी धनराशि का 37.50 प्रतिशत अथवा स्थिर पूँजी निवेश का अधिकतम 12.50 प्रतिशत, जो कम हो, प्रोत्साहन स्वरूप अनुमन्य होगा ।

6.4 इस योजना का लाभ उन्हीं नई/वर्तमान इकाईयों का अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत इस प्रकार का लाभ न लिया हो।

7. <u>प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया</u>

7.1 व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने के पश्चात नई/वर्तमान इकाई द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागों यथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ऊर्जा विभाग, व्यापार कर विभाग, कर एवं निबन्धन विभाग, आवास विभाग के नोडल अधिकारियों को सूचित किया जायेगा कि उनके द्वारा परियोजना की स्थापना की जा चुकी है अथवा विस्तारित क्षमता पर व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ किये जा चुके है। सम्बन्धित विभाग अपने स्तर से इसकी पुष्टि करा कर अपने विभाग से सम्बन्धित क्षमता एवं व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ करने की तिथि का प्रमाण पत्र इकाई को प्रदान किया जायेगा।

7.2 व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी बीमा योजना में जमा कराई गई धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु नई/वर्तमान इकाई द्वारा नीति कार्यान्वयन इकाई(पी0आई0यू0) को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा । आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न किये जाने आवश्यक होगें :-

7.2.1 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र सहित, प्रथम विक्रय बीजक(first Sales Invoice) की प्रति

7.2.2 वर्ष के दौरान दाखिल वाणिज्य-कर विवरणी की प्रति

7.2.3 पॅजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति

7.2.4 सर्विस टैक्स पॅजीयन प्रामण-पत्र की प्रति

7.2.5 PAN Card की प्रति

http://shasnadesh.up.nic.in

7.2.6 विद्यमान क्षमता हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/सांविधिक सम्परीक्षक का प्रमाण-पत्र 7.2.7 इकाई में कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रति।

7.2.8 वित्तीय सहायता हेतु बैंक/वित्तीय संस्था को प्रस्तुत व उनके द्वारा स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) की प्रमाणित प्रति।

7.2.9 उद्योग निदेशालय उ0प्र0 के अधीन सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अधिनियम 2006 के धारा 8 के अन्तर्गत ज्ञापन अथवा भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं सर्वधन विभाग में आशय पत्र अथवा इच्छा पत्र ।

7.2.10 नीति घोषित किये जाने के पश्चात एवं आवेदन की तिथि तक प्लाण्ट एवं मशीनरी की स्थापना पर जो निवेश किया गया है, उसका समस्त मदवार विवरण व उसकी पूष्टि सम्बन्धी अभिलेख/प्रमाण पत्र।

7.2.11 इकाई द्वारा ई.पी;एफ; अथवा ई.एस.आई में 100 या इससे अधिक कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों के पक्ष में जमा किये गये अंशदान का पूर्ण विवरण जिससे सम्बन्धित क्षेत्रीय ई.पी.एफ. अथवा ई.एस.आई. कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो ।

अथवा

यदि इकाई द्वारा ई.पी.एफ. अथवा ई.एस.आई; ट्रस्ट की स्थापना की गयी है तो इकाई द्वारा ई.पी.एफ. अथवा ई.एस.आई. में 100 या इससे अधिक अकुशल श्रमिकों के पक्ष में जमा किये गये अंशदान का पूर्ण विवरण जिसे ट्रस्ट के सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो ।

7.3 इकाई द्वारा प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

7.4 इकाई द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून होगी ।

7.5 आवेदन-पत्र का प्रॉसेंसिंग शूल्क, यदि कोई देय हो, इकाई द्वारा वहन किया जायेगा तथा आवेदन पत्र के साथ जमा किया जायेगा ।

8. <u>प्रोत्साहन की स्वीकृति एवं उसके वितरण की प्रक्रिया</u>

8.1 प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा किया जायेगा । यह कार्यवाही यथा सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी ।

http://shasnadesh.up.nic.in

8.2 इकाई द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में पीआईयू द्वारा इकाई से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनायें/विवरण की मॉग की जा सकती है। पीआईयू द्वारा मॉगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को इकाई द्वारा पीआईयू द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा ।

8.3 आवेदन पत्र में दिये गये विवरण एवं संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन पीआईयू द्वारा सम्बन्धित विभागों एवं ई.पी.एफ; कार्यालय इत्यादि से कराया जायेगा । सम्बन्धित विभाग एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा सत्यापन का कार्य पीआईयू द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर सत्यापन रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेज पीआईयू को दी जायेगी।

8.4 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को ब्याज उपादान अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में पीआईयू द्वारा संस्तुति शासन के विचारार्थ प्रेषित की जायेगी ।

8.5 शासन द्वारा पीआईयू से प्राप्त संस्तुति पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी बीमा योजना अन्तर्गत जमा करायी गयी धनराशि की कितनी धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है।

8.6 शासन द्वारा उक्त प्रतिपूर्ति की धनराशि को उपलब्ध कराने सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किया जायेगा जिसकी प्रतिलिपि पीआईयू एवं सम्बन्धित विभागों को प्रेषित की जायेगी ।

8.7 शासनादेश निर्गत हो जाने पर इकाई एवं पीआईयू के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा ।

8.8 अनुबन्ध निष्पादित होने के प्रश्चात नोडल ऐजेंसी यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन द्वारा सम्बन्धित इकाई को प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान किया जायेगा ।

8.9 प्रत्येक वर्ष प्रतिपूर्ति की धनराशि की व्यवस्था हेतु बजट में आवश्यक प्राविधान कराये जाने के संबंध में पीआईयू की संस्तुति पर नोडल ऐजेंसी यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्ताव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को भेजा जायेगा तथा आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा इस निमित्त बजट में आवश्यक प्राविधान कराया जायेगा ।

9. <u>प्रोत्साहन निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड</u>

http://shrashadesh.up.nic.in

इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें गलत है, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आकडों/अभिलेखों के आधार पर छूट/प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई के विरू'द्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी ।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(जी0पी0कमल)
संयुक्त सचिव

संख्या-15/850(1)/78-1/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग ।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेस्को गोमती नगर लखनऊ ।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(निर्मला श्रीवास्तव)
अनु सचिव

http://shasnadesh.up.nic.in